



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-153 राँची, मंगलवार, 4 फाल्गुन, 1942 (श०)
23 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

01 फरवरी, 2021

संख्या-3/नि0सं0-09-05/2015 का. 700-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15600-39100-ग्रेड-पे 6600/ पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यरत श्री रामकुमार मंडल (कोटि क्रमांक- 637/03, गृह जिला- दरभंगा), अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/ पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में दिनांक 13.06.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उनके धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
